

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)  
(दिनांक 19.06.2024)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 02/2024

GCMS NO :- 2024/02

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.


उनवान :- लीलाधर बनाम राज0 सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 19.06.2024

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का खान्दवा की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खान्दवा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 298 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खान्दवा	खाता संख्या 298	सरबती पत्नी महादेव, अमीलाल, लीलाधर, पुत्रान महादेव, संतरा, सरवण, मेवा पुत्रीयान महादेव	सरबती पत्नी भागीरथ, लीलाधर पुत्र भागीरथ, अमीलाल पुत्र भागीरथ, सन्तरा पुत्री भागीरथ, सरवण पुत्री भागीरथ, मेवा देवी पुत्री भागीरथ



क्रमांक :- राजस्व / 2024 / 235

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. लीलाधर पुत्र भागीरथ जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

दिनांक :- 21/6/24

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)